प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 26/2023 दिनांक 27.9.2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा .....7.....

(2) अधिनियम.....धाराऐं .....

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 26.09.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 14.09.2023 समय :– 12.30 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 453 समय 6.15PM

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 25 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पूर्व दिशा बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर के भवन के अन्दर मुख्य द्वार के सामने स्थित नायब तहसीलदार कक्ष, जिला झालावाड़ (राज0)
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री रामस्वरूप सुमन
(ख) पिता/पति का नाम :– स्व0 श्री मोहनलाल सुमन जाति माली
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 42 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– सुमन मोहल्ला, इकतासा तहसील/थाना असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्री रमेश चन्द चन्देल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल चन्देल जाति जीनगर उम्र 55 साल निवासी पी–75 ठाकुर साहब जी की बावड़ी के पास, गिन्दौर झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 8,000 रूपये .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2023 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सुमन जाति माली उम्र 42 वर्ष निवासी सुमन मोहल्ला, इकतासा तहसील/थाना असनावर जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड व जेसीबी तथा ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन नम्बर की फोटोप्रतियां संलग्न कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही

होना तथा प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा होना एवं उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसका एक स्वराज ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17–आरबी–2800 वर्ष 2015 में घरेलू कार्यों व कृषि कार्य के लिए खरीदा था। इसके अलावा प्रार्थी की फर्म श्री नागराज ट्रेडर्स के नाम से वर्ष 2018 में एक पीले रंग की जेसीबी मशीन रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17–ईए–2200 भी खरीदी हुई है। दिनांक 04.09.2023 को हमारे गांव इकतासा के पास की तलाई में से हमारे गांव में बने हुए तेजाजी के मन्दिर परिसर में पौधें लगाने के लिए मिट्टी की जरूरत होने पर गांव वालों के कहने से उसने अपनी जेसीबी मशीन से मिट्टी खुदाई कर अपने ट्रेक्टर–ट्रोली में भरकर तेजाजी के मन्दिर ले जाने के लिए अपने ड्राईवरों सुरेश व राधेश्याम को कहा था जो जेसीबी मशीन से तलाई में से मिट्टी खुदाई कर ट्रेक्टर–ट्रोली में भरकर तेजाजी के मन्दिर ले जा रहे थे कि दोपहर दो बजे करीब एक सरकारी बोलेरो में बैठकर नायब तहसीलदार असनावर श्री रमेश चन्देल जी व उनका ड्राईवर आये तथा रास्ते में मेरे मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली को रूकवाया तथा जेसीबी मशीन व मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली का नायब तहसीलदार साहब ने अपने मोबाईल से वीडियो बनाया तथा जेसीबी ऑपरेटर सुरेश को धमकाकर मुझे बुलाने के लिए बोला। इस पर उसको उसकी जेसीबी मशीन के ऑपरेटर सुरेश द्वारा कॉल करने पर वह तुरन्त अपने घर से मोटरसाईकिल पर बैठकर वहां गया तो नायब तहसीलदार साहब ने अपनी सरकारी गाड़ी व ड्राईवर के साथ मिले तथा प्रार्थी को भी धमकाकर कहा कि तुम अवैध रूप से जेसीबी से मिट्टी खोदकर ट्रेक्टर–ट्रोली में भरकर ले जाते हो मैंने इसका वीडियो बना लिया है। मैं तुम्हारी मिट्टी भरी ट्रेक्टर–ट्रोली व मिट्टी खुदाई करने वाली जेसीबी मशीन को जब्त कर कार्यवाही करूंगा। इस पर प्रार्थी ने कहा कि साहब मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूं गावं वालों के कहने पर धर्म के नाम पर तेजाजी के मंदिर परिसर में पौधे लगाने के लिए मिट्टी भरकर ले जा रहा हूं। इस पर उन्होने मेरी कोई बात नहीं सुनी तथा मुझसे इकतासा स्थित भेरूलाल काका के ढाबे पर आने के लिए कहा। वह उनकी गाड़ी के पीछे–पीछे भेरूलाल काका के ढाबे पर पहुंचा तो वहां उनकी सरकारी बोलेरो गाड़ी में ड्राईवर के साथ गाड़ी रोककर गाड़ी में बैठे मिले जिनके पास जाकर मैंने फिर खूब हाथा–जोड़ी की तथा कहा कि साहब में धर्म का काम कर रहा था, गलती हो गई माफ करो आयन्दा कभी भी मिट्टी खोदकर नहीं ले जाउंगा। इस पर श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर ने मुझसे कहा कि 15,000रूपये देने पड़ेगें तुम तुम्हारा ट्रेक्टर–ट्रोली व जेसीबी मशीन ले जा सकते हो। इस पर प्रार्थी ने कहा कि साहब मेरे पास तो अभी एक हजार रूपये ही है तथा इतने रूपये नहीं दे सकता हूं तो नायब तहसीलदार साहब ने उस समय मुझसे एक हजार रूपये ले लिये तथा कहा कि चलो ठीक है बाकि बाद में दे देना। इस पर प्रार्थी ने कहा कि साहब इतने रूपये मैं नहीं दे सकता हूं तो उन्होने कहा कि ठीक है तुम 10,000रूपये दे देना। अभी अपनी जेसीबी मशीन और ट्रेक्टर–ट्रोली को ले जाओ। उसके बाद प्रार्थी ने शेष 10,000रूपये नायब तहसीलदार साहब को नहीं देने पर उन्होने दिनांक 06–07.09.2023 को थाना असनावर से महेन्द्र जी से कॉल करवाया तथा महेन्द्र जी उसको थाने पर आने के लिए कहा एवं कहा कि तुम्हारी जेसीबी मशीन व मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली की नायब तहसीलदार साहब ने विडियोग्राफी करा रखी है तथा उन्होने हमें विडियो भी दिखाया है और कहा है कि रामस्वरूप सुमन को इकतासा से बुलाकर कार्यवाही करो। प्रार्थी डरके मारे थाने पर नहीं गया। उसके बाद श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार साहब मुझे असनावर थाने वालों को इकतासा प्रार्थी के घर भिजवाकर बुलाने के लिए कई बार भेजा। लेकिन प्रार्थी डर के मारे इधर–उधर हो गया। प्रार्थी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर को उनके द्वारा मांगी गई 10,000रूपये की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता है तथा उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। प्रार्थी की श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार साहब से कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा ना ही उधारी का कोई लेनदेन बकाया है। परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 01:05 पीएम पर श्री शिवराज कॉनि0 नं0 166 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर के पास असनावर मय ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के साथ उसकी निजी कार में बैठाकर असनावर के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 07:00 पीएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन तथा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री देवदान सिंह कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया। परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री देवदान सिंह कानि0 के बताया कि आपके निर्देशानुसार हम दोनों मेरी निजी कार में बैठकर रवाना होकर असनावर पहुंचे तथा आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार के बारे में उनके कार्यालय में होने के बारे में जानकारी की तो उनका कार्यालय में नहीं होना पाया गया इस पर उनके मोबाईल

पर मैंने कॉल कर पूछा तो उन्होने बताया कि मैं असनावर में नहीं मिलूंगा। मैं शाम 5–6 बजे करीब ग्राम इकतासा ही आ रहा हूं। तुम ग्राम इकतासा में भेरूलाल काका के ढ़ाबे पर ही मेरा इंतजार करो। इस पर हम दोनों मेरी निजी कार से असनावर से रवाना होकर ग्राम इकतासा स्थित भेरूलाल काका के ढाबे पर पहुंचे तथा दोनों ही आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार के ढ़ाबे पर आने का इंतजार करने लगे। शाम 5.30 बजे करीब नायब तहसीलदार की गाड़ी को भेरूलाल काका के ढ़ाबे की तरफ आता देखकर, मैंने देवदान सिंह जी को पास में ही स्थित पेट्रोल पम्प की तरफ जाने को कहा तथा आरोपी से वार्तालाप करने के लिए सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया। कुछ देर पश्चात् ही आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार मुझे देखकर मेरे पास आकर बोले, हां जी सेठ जी। इस पर मैंने भी उनको राम राम साहब कहा। उसके बाद भेरूलाल काका के ढ़ाबे पर बैठकर मैंने आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर से लगभग 40–45 मिनट तक वार्तालाप की। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था जिसे मैं नहीं जानता हूं। वार्तालाप के दौरान मैंने उनसे कहा कि मुझे थाने वाले परेशान कर रहे है उनके फोन तो बन्द करावो। इस पर उन्होने अपने मोबाईल से एक पुलिसकर्मी को कॉल कर स्पीकर ऑन कर मेरे सामने बताया कि इनका फाईनल हो गया है। इन इकतासा वालों को अब परेशान मत करना। इनका मेटर बन्द कर देना। वार्तालाप के दौरान उन्होने मुझसे कहा कि 10,000रूपये दे देना लेकिन मैंने एक–एक हजार रूपये पहले देने की बात कही। नायब तहसीलदार साहब ने अपने मोबाईल नम्बर भी मुझे दिये है तथा कहा है कि जब भी तुम जेसीबी मशीन चलाओ नाईट में चलाओ तो ठीक रहेगा। मशीन चलाओ तब मुझे पहले फोन कर लेना, तुम्हे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पुलिसवालों को सब समझा दूंगा। इस तरह आरोपी ने मुझसे थाना असनावर के पुलिसवालों को मेरे घर पर नहीं भेजने तथा मुझे बार–बार कॉल कर थाने पर नहीं बुलाने के लिए शेष रिश्वत राशि के 8,000रूपये देने के सम्बंध में वार्तालाप की है तथा बताया कि महेन्द्र जी बीट अधिकारी है मैंने अभी–अभी उन्ही से ही मोबाईल पर स्पीकर ऑन कर बात की है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के पश्चात् मैंने सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर अपनी निजी कार से निकट ही स्थित पेट्रोल पम्प पर पहुंचा तथा वहां साईड में मेरा इंतजार कर रहे श्री देवदान सिंह जी को सारी बात बतायी तथा उन्हे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर दिया। उसके पश्चात् हम दोनों मेरी निजी कार से इकतासा से रवाना होकर आपके पास आये है। परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन द्वारा बताये गये कथनों की हमराह निगरानी हेतु गये श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा भी ताहिद की गई। परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि वापसी में इकतासा से लौटते समय उसको अपनी फर्म श्री नागराज ट्रेडर्स का महाराष्ट्र के जलगांव में अगले सप्ताह ट्रेनिंग प्रोग्राम होने की जानकारी मिली है। अतः वह सोमवार दिनांक 18.09.2023 को ट्रेप कार्यवाही के लिए आपके कार्यालय में नहीं आ सकेगा तथा दिनांक 24.09.2023 या 25.09.2023 को ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जलगांव (महाराष्ट्र) से ग्राम इकतासा लौटने पर जरिये मोबाईल आरोपी के बारे में पता कर ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु रिश्वत राशि के 8,000रूपये लेकर आपसे सम्पर्क कर उपस्थित हो जायेगा। इस बीच यदि आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार का उसके पास कोई कॉल आयेगा तो वह उनको अपने तरीके से समझाकर उनसे समय ले लेगा तथा अगले सप्ताह रिश्वत राशि देने के लिए राजी कर लेगा। परिवादी को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर आरोपी के बारे में जानकारी कर रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा सुपुर्द किये गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। आईन्दा परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन एवं स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 25.09.2023 समय 02.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने जरिये मोबाईल कॉल कर अवगत कराया मैं जलगांव महाराष्ट्र से ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मैं अपने ग्राम इकतासा आ गया हूं तथा मेरी आरोपी से जरिये मोबाईल वार्तालाप हो गई है कल दिनांक 26.09.2023 को अरोपी ने मुझे दोपहर 12 बजे बाद रिश्वत राशि लेकर बुलाया है व मैंने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के 8,000रूपये की व्यवस्था कर ली है। मैं कल दिनांक 26.09.2023 को प्रातः 07.30 बजे ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु रिश्वत राशि लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। चूंकि दिनांक 26.09.2023 को ट्रेप कार्यवाही की जानी है। अतः दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु जिला आबकारी अधिकारी जिला झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक एसपीएल–01 दिनांक 25.09.2023 मुर्तिब कर श्री देवदान सिंह कानि0 425 को पत्र देकर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ जाकर गवाहान को पाबन्द कराने हेतु रवाना किया गया। समय 03:30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के श्री राजेश कुमार डबरिया पुत्र श्री कालूराम डबरिया जाति रेगर उम्र 31 साल निवासी बुनकरो का मोहल्ला रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक जिला आबकारी विभाग खण्डिया कॉलोनी खानपुर रोड़, झालावाड़ (राज0) व श्री रामप्रकाश मीणा पुत्र श्री छोटूराम मीणा जाति

मीणा उम्र 57 साल निवासी ग्राम पपराला पोस्ट पेंच की बावड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल जमादार जिला आबकारी विभाग खण्डिया कॉलोनी खानपुर रोड़, झालावाड़ (राज0) को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पाबन्द शुदा सरकारी गवाहो का पत्र क्रमांक 271 दिनांक 25.09.2023 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 26.09.2023 समय 07.30 एएम पर दो स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार डबरिया हाल कनिष्ठ सहायक श्री रामप्रकाश मीणा हाल जमादार जिला आबकारी विभाग खण्डिया कॉलोनी खानपुर रोड़, झालावाड़ (राज0) ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 07.50 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 8,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी आज अपने कार्यालय असनावर पर ही मौजूद मिलेगा तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज दोपहर 12 बजे बाद रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगें। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार डबरिया कनिष्ठ सहायक व श्री रामप्रकाश मीणा जमादार कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन द्वारा दिनांक 14.09.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग करने हेतु साथ रहने की स्वैच्छा से सहमति दी। समय 08:00 एएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार डबरिया व श्री रामप्रकाश मीणा की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि. नं. 166 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 14.09.2023 को परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन एवं आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर जिला झालावाड़ के मध्य रिश्वत राशि मांग की गोपनीय वार्ता हो चुकी है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में दिनांक 14.09.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर की, तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति की तथा चौथी आवाज किसी पुलिसकर्मी की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार डबरिया व श्री रामप्रकाश मीणा के समक्ष अपने पास से 8,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 16 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 8,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री रामप्रकाश मीणा से परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया।

डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री राजेश कुमार डबरिया व श्री रामप्रकाश मीणा एवं परिवादी रामस्वरूप सुमन को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12:25 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार डबरिया व श्री रामप्रकाश मीणा तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय सरकारी व चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के बजानिब असनावर की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन को उनके स्वंय के निजी कार से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 01:20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार डबरिया व श्री रामप्रकाश मीणा तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय सरकारी वाहन व चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर के नजदीक पहुंचे तथा कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन भी अपनी निजी कार से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया जिसने बताया कि आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार साहब अभी अपने कार्यालय में ही मौजूद है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी निजी कार खड़ी कर आरोपी के पास ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने के निर्देश दिये तथा स्वंय भी मय ट्रेप पार्टी परिवादी के वाहन के निकट उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की बाउण्ड्री के बाहर सरकारी वाहन को खड़ा कर ट्रेप जाल बिछाकर बाउण्ड्रीवाल के सहारे परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 01:40 पीएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने कार्यालय भवन, उपखण्ड अधिकारी, असनावर के मुख्य द्वार के बाहर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की बाउण्ड्री के बाहर हमराह लाये वाहनों को खड़ाकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का इंतजार कर रही ट्रेप पार्टी को एकत्रित कर बाउण्ड्री के गेट से प्रवेश कर परिवादी के पास पहुंचे तथा परिवादी को आरोपी से रिश्वत लेनदेन वार्तालाप करने के दौरान पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया तथा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि इस कार्यालय में सामने वाला कक्ष नायब तहसीलदार साहब का ही है जिसमें उन्होने मुझसे रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्तालाप कर मांग कर, प्राप्त कर अपनी पहने हुए क्रीम कलर के ट्राउजर की बायीं जेब में रख लिए है तथा आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार अभी भी अपने कक्ष में बैठे हुए राजकार्य कर रहे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के पीछे–पीछे हमराह ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के अन्दर स्थित सामने वाले कक्ष में पहुंचे तो एक चश्मा लगाये महरून कलर की शर्ट व क्रीम कलर के ट्राउजर पहने हुए कुर्सी पर बैठे गौरे से व्यक्ति, जिसके पीछे की खिड़की के कांच में काले रंग की गोल्डन कलर में रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार की नेम प्लेट भी लगी हुई थी। कक्ष में बैठे उस व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि, साहब यही श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार साहब है, जिन्होने अभी–अभी मुझसे दिनांक 04.09.2023 को मिट्टी से भरी मेरी ट्रेक्टर ट्रोली व जेसीबी मशीन का रास्ते में जाते समय इन्होने रोककर अपने मोबाईल से

बनाये हुए विडियो को डिलीट करने एवं मेरे विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने तथा आयन्दा मिट्टी खुदाई करने पर भी परेशान नहीं करने की एवज में शेष 8,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने क्रीम कलर के ट्राउजर की सामने की बायीं जेब में रख ली है तथा उसके बाद मुझे बाहर जाने का ईशारा कर दिया है। इस पर मेरे द्वारा ब्यूरो स्टॉफ के श्री देवदान सिंह कानि0 से आरोपी का बायां हाथ तथा श्री पवन कुमार कानि0 से दाहिना हाथ कलाई से ऊपर पकड़ने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का आरोपी को परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर शांत कर उसका नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम रमेश चन्द चन्देल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल चन्देल जाति जीनगर उम्र 55 साल निवासी पी–75 ठाकुर साहब जी की बावड़ी के पास, गिन्दौर झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल से परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन से अभी–अभी ली गई रिश्वत राशि के शेष 8,000रूपये लेने बाबत् पूछा गया कि यह रिश्वत राशि उसने क्यों व किस उद्देश्य से ली है। इस पर आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल ने रूबरू स्वंतत्र गवाहान बताया कि श्री रामस्वरूप सुमन अवैध रूप से अपने ड्राईवरों के जरिये इकतासा गांव में तलाई में से अपनी जेसीबी मशीन से मिट्टी खोदकर अपने ट्रेक्टर–ट्रोली में भरकर गांव में ले जा रहे थे उस समय मैं वहां अपनी सरकारी गाड़ी से गुजर रहा था तो मैंने मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली व जेसीबी मशीन देखने पर ड्राईवरों से पूछा कि यह ट्रेक्टर–ट्रोली व जेसीबी मशीन किसकी है। इस पर उन्होने बताया कि यह रामस्वरूप जी सुमन की है। इस पर मैंने उनके द्वारा मिट्टी भरकर ले जाये जा रहे ट्रेक्टर–ट्रोली व जेसीबी मशीन का विडियो बनाया था तथा उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही थी एवं रामस्वरूप सुमन को बुलवाया तो उसके द्वारा तेजाजी के मन्दिर पर पेड़ लगाने के लिए मिट्टी खोदकर ले जाने का कहने पर मैंने भैरूलाल के ढ़ाबे पर रामस्वरूप सुमन को बुलाकर उससे 2,000रूपये लिये थे तथा कुल 15,000रूपये देने की बात हुई थी परन्तु रामस्वरूप के 10,000रूपये देने का कहने पर मैंने 10,000रूपये की हां भर ली थी तथा शेष 8,000रूपये नहीं देने पर इसको बुलवाया था रामस्वरूप सुमन द्वारा शेष रूपये देने की हां भरने पर मैंने इसकी मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली का मेरे मोबाईल से बनाया हुआ विडियो डिलीट कर दिया था। अभी आप मेरा मोबाईल चेक कर सकते हो इसमें कोई विडियो नहीं है। मेरे द्वारा इस वजह से रामस्वरूप सुमन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की गई कि यह मिट्टी तेजाजी के मन्दिर पर पौधे लगाने के लिए भरकर ले जाई जा रही थी। मैंने पार्टी करने की बात कहकर 2,000रूपये उस रोज रामस्वरूप से ले लिये थे। मैंने बीट कानि0 महेन्द्र को मोबाईल पर कॉल कर यह नहीं बताया था कि, इकतासा गांव के रामस्वरूप सुमन को अब परेशान मत करना, यह मेरे से मिल लिये है। मैंने श्री रामस्वरूप सुमन पर रिश्वत राशि देने के लिए कोई दबाव नहीं डाला था और ना ही रामस्वरूप को तथा उसके ड्राईवरों को धमकाया था। रामस्वरूप ने अपनी इच्छा से ही आज मुझे 8,000रूपये दिये है। मैंने रामस्वरूप सुमन से कोई रिश्वत राशि की मांग पूर्व में नहीं की है। आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने खण्डन करते हुए बताया कि साहब नायब तहसीलदार जी झूठ बोल रहे है। मैंने इनको अपनी इच्छा से रिश्वत राशि के 8,000रूपये नहीं दिये है। मेरे नाम से एक स्वराज ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17–आरबी–2800 वर्ष 2015 में घरेलू कार्यों व कृषि कार्य के लिए खरीदा था। इसके अलावा मेरी फर्म श्री नागराज ट्रेडर्स के नाम से वर्ष 2018 में एक पीले रंग की जेसीबी मशीन रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17–ईए–2200 भी खरीदी थी। दिनांक 04.09.2023 को हमारे गांव इकतासा के पास की तलाई में से हमारे गांव में बने हुए तेजाजी के मन्दिर परिसर में पौधें लगाने के लिए मिट्टी की जरूरत होने पर गांव वालों के कहने से धर्म का काम होने पर मैंने अपनी जेसीबी मशीन से मिट्टी खुदाई कर अपने ट्रेक्टर–ट्रोली में भरकर तेजाजी के मन्दिर ले जाने के लिए अपने ड्राईवरों सुरेश व राधेश्याम को कहा था जो जेसीबी मशीन से तलाई में से मिट्टी खुदाई कर ट्रेक्टर–ट्रोली में भरकर तेजाजी के मन्दिर ले जा रहे थे कि दोपहर दो बजे करीब एक सरकारी बोलेरो में बैठकर नायब तहसीलदार असनावर श्री रमेश चन्देल जी व उनका ड्राईवर आये तथा रास्ते में ही मेरे मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली को रूकवाया तथा जेसीबी मशीन व मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली का नायब तहसीलदार साहब ने अपने मोबाईल से वीडियो बनाया तथा जेसीबी ऑपरेटर सुरेश को धमकाकर मुझे बुलाने के लिए बोला। इस पर मुझे मेरी जेसीबी मशीन के ऑपरेटर सुरेश द्वारा कॉल करने पर मैं तुरन्त अपने घर से अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर वहां गया तो नायब तहसीलदार साहब ने अपनी सरकारी गाड़ी व ड्राईवर के साथ मिले तथा मुझे भी धमकाकर कहा कि तुम अवैध रूप से जेसीबी से मिट्टी खोदकर ट्रेक्टर–ट्रोली में भरकर ले जाते हो मैंने इसका वीडियो बना लिया है। मैं तुम्हारी मिट्टी भरी ट्रेक्टर–ट्रोली व मिट्टी खुदाई करने वाली जेसीबी मशीन को जब्त कर कानूनी कार्यवाही करूंगा। इस पर मैंने कहा कि साहब मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूं गांव वालों के कहने पर धर्म के नाम पर तेजाजी के मंदिर परिसर में पौधे लगाने के लिए मिट्टी भरकर ले जा रहा हूं। इस पर उन्होने मेरी कोई बात नहीं सुनी तथा मुझसे इकतासा स्थित भेरूलाल काका के ढाबे पर उनकी गाड़ी के पीछे–पीछे आने के लिए कहा। मैं उनकी गाड़ी के पीछे–पीछे भेरूलाल काका के ढाबे पर पहुंचा तो वहां उनकी सरकारी बोलेरो गाड़ी में ड्राईवर के साथ गाड़ी रोककर गाड़ी में बैठे मिले जिनके पास जाकर मैंने फिर खूब हाथा–जोड़ी की तथा कहा कि

साहब में धर्म का काम कर रहा था, गलती हो गई माफ करो आयन्दा कभी भी मिट्टी खोदकर नहीं ले जाउंगा। इस पर श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार असनावर ने मुझसे कहा कि 15,000रूपये रिश्वत के देने पड़ेगें उसके बाद तुम तुम्हारा ट्रेक्टर–ट्रोली व जेसीबी मशीन ले जा सकते हो और कभी भी मिट्टी खोदकर ले जाने पर तुमको परेशान नहीं करूंगा। इस पर मैंने कहा कि साहब मेरे पास तो अभी दो हजार रूपये ही है तथा मैं आपको 15,000रूपये नहीं दे सकता हूं तो नायब तहसीलदार साहब ने उस समय मुझसे मेरे पास रखे हुए दो हजार रूपये ही ले लिये तथा कहा कि चलो ठीक है बाकि बाद में दे देना। इस पर मैंने कहा कि साहब इतने रूपये मैं बाद में भी नहीं दे सकता हूं तो उन्होने कहा कि ठीक है, तुम 10,000रूपये कर देना। अभी अपनी जेसीबी मशीन और ट्रेक्टर–ट्रोली को ले जाओ। उसके बाद जब मैंने शेष 8,000रूपये नायब तहसीलदार साहब को नहीं देने पर उन्होने इस बीच मुझे कई बार कॉल कर रिश्वत राशि के 8,000रूपये देने के लिए कहा तथा दिनांक 06–07.09.2023 को थाना असनावर से महेन्द्र जी से कॉल करवाया तथा महेन्द्र जी ने भी मुझे थाने पर आने के लिए कहा कि नायब तहसीलदार साहब आपको याद कर रहे है एवं उन्होने कहा कि तुम्हारी जेसीबी मशीन व मिट्टी से भरी ट्रेक्टर–ट्रोली की नायब तहसीलदार साहब ने वीडियोग्राफी करा रखी है तथा उन्होने हमें भी विडियो भी दिखाया है और कहा है कि रामस्वरूप सुमन को इकतासा से बुलाकर लाओ मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा। इस पर मैं डरके मारे थाने पर नहीं गया तथा सीधा नायब तहसीलदार साहब के पास पहुंचा और उनको कहा कि मैं 8,000रूपये आपको दे दूंगा। उसके बाद भी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार साहब मुझे असनावर थाने वालों को इकतासा मेरे घर भिजवाकर बुलाने के लिए कई बार भेजा था। लेकिन मैं डर के मारे इधर–उधर हो गया। नायब तहसीलदार साहब ने मुझको बीट कानि0 के जरिये धमकाकर की तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा यदि शेष रिश्वत राशि नहीं दी तो मेरे मोबाईल में बनाया हुआ विडियो मौजूद है। मैं इस विडियो को यदि रिश्वत राशि के 8,000रूपये नहीं दोगें तो डिलीट नहीं करूंगा। इस पर मैंने हां करने पर इन्होने बीट कानि0 महेन्द्र जी को कॉल किया तथा कहा कि इकतासा वालों का मेटर खत्म हो गया है। इनको परेशान मत करना। मुझे परेशान करने पर मैंने मजबूर होकर दिनांक 14.09.2023 को आपके कार्यालय में जाकर नायब तहसीलदार साहब श्री रमेशचन्द जी चन्देल को ट्रेप कराने का प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर आप द्वारा कार्यवाही करते हुए उसी रोज मेरे साथ देवदान जी कानि0 को असनावर भेजा था परन्तु इनके द्वारा भेरूलाल के ढ़ाबे पर ग्राम इकतासा में इंतजार करने का कहने पर नायब तहसीलदार साहब से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप भेरूलाल के ढ़ाबे पर ही हुई थी रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान मैंने आप द्वारा दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद मैं जलगांव (महाराष्ट्र) में मेरी फर्म के ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेने चला गया था। जहां से मैं दिनांक 25.09.2023 को ही वापस आते ही मैंने मोबाईल से नायब तहसीलदार साहब से सम्पर्क किया तो इन्होने आज रिश्वत राशि के 8,000रूपये लेकर अपने कार्यालय में बुलाया था जिस पर इनके द्वारा 8,000रूपये रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त करने पर अपनी क्रीम कलर के ट्राउजर की बायीं जेब रख लिये उसके बाद मेरे द्वारा मैन गेट से बाहर आकर आपको ईशारा करने पर आप द्वारा मेरे पीछे–पीछे आकर इनको इनके कक्ष में पकड़ लिया है। 8,000रूपये रिश्वत राशि मैंने इनको इनके द्वारा मांगने पर दी है। फिर आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल के दोनों हाथों की धुलाई हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर दो साफ–साफ सफेद रंग के डिस्पोजल गिलासों में भरकर सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक सफेद रंग के डिस्पोजल के गिलास में तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग सफेद मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे सफेद रंग के डिस्पोजल के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मटमेला गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल के पहने हुए क्रीम कलर के ट्राउजर की बायीं जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामप्रकाश मीणा से लिवायी गयी तो आरोपी की जेब से 500–500रूपये के नोटो की एक थेई निकालकर पेश की। फिर अन्य गवाह श्री राजेश कुमार डबरिया को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो का मिलान करने निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 8,000रूपये होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जा रहे है, जो निम्न प्रकार है :–

1.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4WQ 114935
2.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9GS 687464
3.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9FU 197764
4.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0QU 179811

5.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7NK 119595
6.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0BK 901987
7.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4TA 220686
8.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1FP 114944
9.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8AL 129958
10.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1AH 346353
11.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9FP 747150
12.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5TQ 644403
13.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2AA 733117
14.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4WH 673912
15.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2QN 235086
16.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8UU 359649

उक्त रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 16 बरामदशुदा नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखकर मौके पर सील चीट कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त बरामद नोटो के अलावा आरोपी के पहने हुए क्रीम कलर के ट्राउजर की पीछे की दाहिनी जेब में रखे पर्श में 4,020रूपये की राशि भी मिली जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के पास मिले सिल्वर रंग के रेल्मी कम्पनी मोबाईल के मोबाईल नम्बर 9929222151 को भी बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि रखे क्रीम कलर के ट्राउजर की सामने की बायीं जेब की धुलाई हेतु आरोपी को अन्य ट्राउजर पहनने के लिए मंगवाकर दिया गया तत्पश्चात् एक सफेद रंग के साफ डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर रिश्वत राशि रखे हुए क्रीम कलर के ट्राउजर की सामने की बायीं जेब को उल्टवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा पेन्ट की जेब को पंखे की हवा में सुखोकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक हल्के पीले रंग की कपड़े की थेली में रखकर सीलमोहर चिट कर मार्क पी दिया गया। सफेद रंग के प्रयुक्त किये गये पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। पूर्व में परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जा चुका है, जिसे ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मुर्तिब की जावेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 04:55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:25 पीएम पर आरोपी श्री रमेश चन्द चन्देल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल चन्देल जाति जीनगर उम्र 55 साल निवासी पी–75 ठाकुर साहब जी की बावड़ी के पास, गिन्दौर झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामप्रकाश मीणा से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा उसके क्रीम कलर के ट्राउजर की पीछे वाली दायीं जेब में रखे पर्स में से 4,020रूपये की राशि तथा मोबाईल फोन मिलने पर ब्यूरो द्वारा बतौर वजह सबूत कब्जे में लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में उपस्थित आरोपी के भतीजे श्री अनिल चन्देल को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 05:40 पीएम पर आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल चन्देल जाति जीनगर उम्र 55 साल निवासी पी–75 ठाकुर साहब जी की बावड़ी के पास, गिन्दौर झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री राजेश कुमार व श्री रामप्रकाश के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 14.09.2023 को ग्राम इकतासा में पेट्रोल पम्प के निकट स्थित भेरूलाल के ढ़ाबे पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप तथा आज दिनांक 26.09.2023 को आपके कार्यालय कक्ष में परिवादी से रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन द्वारा उसको एसीबी कार्यालय झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल ने फर्द पर ही स्वंय के

हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ " अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:55 पीएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। मौके से परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचने की हिदायत देकर अपनी निजी से झालावाड़ के लिए रवाना होने के निर्देश दिये गये तथा आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार के असनावर स्थित राजकीय आवास की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स, लेपलॉट प्रिन्टर व जब्त शुदा आर्टिकल्स इत्यादी लेकर सरकारी वाहन से मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 के आरोपी के असनावर स्थित राजकीय आवास के लिए रवाना हुआ। समय 06:05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल के सरकारी वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही स्थल कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर से रवाना होकर आरोपी के असनावर स्थित राजकीय आवास पहुंचे। समय का अभाव होने एवं साक्ष्य नष्ट होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए तलाशी वारण्ट प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है। अतः आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल से उसके राजकीय आवास का ताला खुलवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी से अपने राजकीय आवास की तलाशी लेने हेतु सहमति चाही गई तो उसके द्वारा राजकीय आवास की तलाशी लेने हेतु अपनी मौखिक सहमति दी, जिसकी खाना तलाशी नियमानुसार ली गयी तो खाना तलाशी के दौरान कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूषण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु/दस्तावेज जब्त कर कब्जे ब्यूरो ली गयी। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल को दी गयी। समय 06:25 पीएम पर आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल के असनावर स्थित राजकीय आवास की खाना तलाशी लेने की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराहियान जाब्ता व मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि के 8,000रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि व आरोपी को साथ लेकर सरकारी वाहन से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 07:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय आरोपी के साथ सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। जहां पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन पूर्व से ही इंतजार करता हुआ उपस्थित मिला। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल व आरोपी का मोबाईल फोन बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि के 8,000रूपये तथा धोवन के सैम्पल, रिकॉर्डेड वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं जामा तलाशी मिली 4,020रूपये की राशि इत्यादि श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। समय 07:05 पीएम पर आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री भोजराज सउनि, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री पवन कुमार कानि. नं. 28 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। समय 07:25 पीएम पर आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार को वास्ते सुरक्षा हेतु पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर जरिये सरकारी बोलेरो से श्री भोजराज सउनि, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व श्री पवन कुमार कानि. नं. 28 कार्यालय में हाजिर आये। समय 07:30 पीएम पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार व श्री रामप्रकाश की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि. नं. 166 को मौके पर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये तथा मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये रिकॉर्डेड वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः श्री शिवराज कानि0 नं0 166 के जरिये मालखाना से निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि दिनांक 26.09.2023 को परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन एवं आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल के मध्य कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर में आरोपी के कक्ष में रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई है जिसे परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में उसके द्वारा वार्तालाप के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, तो रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:00 पीएम पर दिनांक 14.09.2023 को परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन एवं आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक

26.09.2023 को समय 08.00 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 26.09.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन एवं आरोपी श्री रमेश चन्देल नायब तहसीलदार के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 26.09.2023 को समय 07.30 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार पैन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें एक पेन ड्राईव आरोपी श्री रमेशचन्द चन्देल नायब तहसीलदार के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीन पेन ड्राईव को सील मोहर की गई तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर अनसिल्ड रखा गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk 8GB © micro SD HC 7502ZF8351C8 BI MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर बजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया। कपड़े की थेलीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गये। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 14.09.2023 को श्री रामस्वरूप सुमन पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सुमन जाति माली उम्र 42 वर्ष निवासी सुमन मोहल्ला, इकतासा तहसील/थाना असनावर जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था। परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र तथा परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन निवासी इकतासा के स्वराज ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17–आरबी–2800 तथा जेसीबी मशीन आरसी नं0 आरजे 17–ईए–2200 को दिनांक 04.09.2023 को गांव इकतासा की तलाई में से गांव में बने हुए तेजाजी मन्दिर परिसर में पौधे लगाने के लिए मिट्टी की खुदाई कर ले जाते हुए मिट्टी से भरी ट्रेक्टर ट्रोली व जेसीबी मशीन का रास्ते में जाते समय रोककर विडियो बनाना तथा परिवादी के जेसीबी ड्राईवर सुरेश के जरिये परिवादी को कॉल कर मौके पर बुलाकर उसकी ट्रेक्टर ट्रोली तथा जेसीबी मशीन को जब्त करने की धमकी देना तथा परिवादी को असनावर स्थित भेरूलाल काका के ढ़ाबे पर बुलाकर 15,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं परिवादी से मौके पर 2,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि के 13,000रूपये की जगह 8,000रूपये देने पर अपने मोबाईल से विडियो डिलीट करने तथा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने की कहकर मिट्टी से भरी हुई ट्रेक्टर–ट्रोली व जेसीबी मशीन को छोड़ देना। परिवादी द्वारा शेष रिश्वत राशि के समय पर 8,000रूपये नहीं देने पर परिवादी को थाना असनावर के बीट कानि0 महेन्द्र के जरिये आरोपी द्वारा ट्रेक्टर–ट्रोली व जेसीबी मशीन को जब्त करने की धमकी दिलवाने हेतु परिवादी के गांव इकतासा भिजवाकर बुलवाना एवं परिवादी द्वारा शेष रिश्वत राशि देने का कहने पर आरोपी द्वारा बीट कानि0 श्री महेन्द्र को परिवादी को परेशान नहीं करने बाबत् अपने मोबाईल से कॉल कर बताना जो रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 14.09.2023 के पुष्टि होना व रिश्वत लेनदेन वार्तालाप से परिवादी श्री रामस्वरूप सुमन से आरोपी रमेशचन्द चन्देल द्वारा रिश्वत राशि के 8,000रूपये मांगकर प्राप्त कर अपनी पहने हुए क्रीम कलर के ट्राउजर की बायीं जेब में रखना एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वत राशि 8,000रूपये बरामद होना इत्यादी आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री रमेश चन्द चन्देल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल चन्देल जाति जीनगर उम्र 55 साल निवासी पी–75 ठाकुर साहब जी की बावड़ी के पास, गिन्दौर झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित की जावेगी।

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमेश चन्द चन्देल पुत्र श्री कन्हैयालाल चन्देल निवासी पी-75 ठाकुर साहब की बावड़ी के पास, गिन्दौर झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल नायब तहसीलदार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 261/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

भवदीय,

27.9.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2870-73 दिनांक 27.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर झालावाड़।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

27.9.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।